

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक :- एफ.2(2633)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/01834/2020 जयपुर, दिनांक : 19.03.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री दीपक सिंह निर्वाण, सूचना सहायक, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक रतनगढ़, चूरु को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से स्वयंपाठी के माध्यम से 'ए' लेवल परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री दीपक सिंह निर्वाण, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शारित हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Sd/-

(विवेक कुमार)  
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चूरु।
2. श्री दीपक सिंह निर्वाण, सूचना सहायक जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक रतनगढ़, चूरु।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Gtm  
19/03/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(6356)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/R-243 जयपुर, दिनांक : 18.03.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सूचना सहायकों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। निम्न सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

क.सं	मेरिट क्रमांक	सूचना सहायक का नाम	परीक्षा का नाम जिसकी अनुमति चाही गई
1	1594	सौरभ नागर	Enforcement officer/Accounts Officer 2020, Civil Services (Preliminary) 2020 (UPSC), CGL 2019 (SSC)
2	2477	संगीता कोरानी	Scientist B & Scientific/Technical Assistant A (NIELIT)
3	2497	साक्षी अग्रवाल	AAO-IT (LIC), Scientist B & Scientific/Technical Assistant A (NIELIT)
4	4199	सीताराम मीणा	Librarian II <sup>nd</sup> grade (RPSC)
5	New Batch	शाहीन अंजुम	Civil Services (Preliminary) 2020 (UPSC)
6	New Batch	सोनी मीणा	ACF & Forest Range Officer GR-I 2018 (RPSC)
7	New Batch	सपना शर्मा	ACF & Forest Range Officer GR-I 2018 (RPSC), राजस्थान उच्च न्यायालय आशुलिपिक भर्ती 2020
8	New Batch	सुरेन्द्र कुमार	Scientist B & Scientific/Technical Assistant A (NIELIT)
9	New Batch	सचिन खनेजा	Scientific/Technical Assistant A (NIELIT)
10	New Batch	सुनील शर्मा	Scientific/Technical Assistant A (NIELIT)
11	New Batch	सुगनी	प्रवर्तन अधिकारी (EPFO)
12	New Batch	सोनू मीणा	Scientist B (NIELIT)

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा से राज सेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)  
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)